बालश्रम समाज के लिए एक अभिशाप !

डॉ० अरूण प्रसाद अमन*

मानव जगत में हर्ष, प्रेम, उमंग एवं स्वप्नों का सर्वोत्कृष्ट जीवित पुंज 'बालक' को समझा जाता है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की विरासत होते हैं, जिनकी समुचित देखभाल एवं विकास पर ही किसी राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। इन्ही के कन्धों पर मानवता के उज्जवल भविष्य की आधार–शिला रखी जा सकती है, किन्तु विडम्बना यह है कि इन बच्चों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनका जीवन संघर्षों एवं असामान्य परिस्थिति में बीतता है। प्रश्न यह है कि जिन बच्चों का बचपन ही समस्याओं से घिरा हो उनका भविष्य क्या होगा ?

वर्तमान समय में भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व बाल मजदूरी की समस्या से ग्रस्त है। बालश्रम भारत के साथ–साथ पूरे विश्व के लिए एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। जैसे–जैसे सरकारें नये–नये रूपों में और अधिक सामने आती जा रही है। सस्ते श्रमिक की चाहत में छोटे से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति भी बाल श्रम से अपना मोह छोड़ नहीं पा रहे है लेकिन नये–नये कानून बनाकर भी सरकार इसे रोक पाने में असफल रही है। कारण सरकार कानून तो बना रही है लेकिन उन कानूनों को लागू करवाने में सरकारी कठोरता का अभाव देखा जा सकता है। आज दुनिया में 215 मिलियन ऐसे बच्चे है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी–किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, उद्योगों में बर्त्तन एवं झाड़ू–पोंछे और औजारों के साथ बितता है। भारत में तो यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही है। 1991 में यह आंकड़ा 11.3 मिलियन तक था जो 2001 की जनगणना में 12.7 मिलियन तक पहुँच चुका है।

बचपन इंसान की जिन्दगी का सबसे हसीन समय है जब न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी। बस हर पल अपनी मस्ती में खोए रहना, खेलना–कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है। खेलने–कूदने के दिनों में कोई बालश्रम करने को मजबूर हो जाये तो इससे बड़ी विडम्बना समाज के लिए क्या हो सकती है ? बालश्रम ऐसा अभिशाप है जो समाज में सर्वत्र मकड़ी के जाल सा फैला है। वास्तव में बालश्रम मानवाधिकारों का हनन है। इन अधिकारों के तहत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास का हक प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है।

***पी–एच0 डी0 अर्थशास्त्र विभाग बी0एन0एम0यू0, मधेपुरा।**

जब कोई बच्चा अपने बचपन में खेलने–कूदने और पढ़ने की उम्र में अपना जीवन–यापन चलाने के लिए किसी व्यक्ति के पास या संस्था में काम करता है तो यह 'बाल मजदूरी' या 'बालश्रम' कहलाता है। कानून की दृष्टि से देखें तो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जब मजदूरी के कार्य (चाहे वह उसकी मर्जी से ही क्यों न करवाये जा रहे है) करता है तो वह बालश्रम के अन्तर्गत आता है। बाल मजदूरी बच्चों से लिया जानेवाला वह कार्य है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा करवाया जाता है। अधिकतर यह कार्य बच्चों के अभिभावकों या संस्था मालिकों के द्वारा जबरदस्ती कराया जाता है। नैसर्गिक रूप से देखा जाये तो बचपन सभी बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। बचपन में बच्चों के द्वारा की गयी क्रियायें जैसे–खेलना, कूदना, आपस में लड़ाई करना, माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों का प्यार पाना, अपनी मर्जी से सोना तथा उठना आदि सभी क्रियाओं पर सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार होता है।

भारत में बालश्रम मजदूरी के अनेक कारण है। बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न स्तर का रहन–सहन, गरीबी परिवार का बड़ा होना, माता–पिता कीनिम्न आय आदि। भारत में बाल मजदूरी का सबसे प्रमुख कारण है 'गरीबी'। मानवता के लिए भूख एवं गरीबी वास्तव में सबसे बड़ी अभिशाप है। गरीबी को सारे पापों एवं सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुराईयों की जड़ माना जाता है। मानव को जब उदरपूर्त्ति हेतु पर्याप्त अन्न प्राप्त नहीं होता, शरीर ढ़कने के लिए वस्त्र तथा सिर छुपाने के लिए छत नहीं होती तो व कुछ भी करने के लिए विवश होता है। बच्चों को मजदूरी देनेवालों का यह तर्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूखे मरने एवं घर से निकाल देने के कारण कम से कम उन्होंने उस बच्चे को काम तो दिया। ऐसे में पहले सवाल पेट का होता है शिक्षा बाद में आती है। इस प्रकार बालश्रम एवं गरीबी के बीच गहरा संबंध है। जनसंख्या नियंत्रण में विफलता बालश्रम के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश में जो भी जनसंख्या बढ़ रही है वह अल्पपोषित, गरीबी और अनेक नागरिक सुविधाओं से वंचित है। गलियों एवं सड़कों में भीख मांगते बच्चे, बूढ़े एवं औरतें, फुटपाथों पर जीवन गुजारते लोग, सिर पर बोझ ढ़ोती महिलाएँ एवं बच्चे वास्तव में योजनाहीन अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि का ही परिणाम है। इसके साथ ही अशिक्षा भारत में बालश्रम के भयावह स्वरूप का पमुख कारण है। साथ ही बालश्रम सस्ते मजदूर पाने के लिए निहित स्वार्थो द्वारा जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है। बालश्रम के लिए अभिवृत्ति तत्व सामाजिक एवं पारिवारिक परिवेश भी बहुत हद तक उत्तरदायी है। पारिवारिक परिवेश कलहपूर्ण होने के कारण भी बच्चे घर से भाग कर मजदूर बनने को मजबूर हो जाते है।

सरकार द्वारा बनाये गये मजदूरी रोधक कानून में एक बड़ी खामी यह है कि इसमें ही बाल मजदूरी को बढ़ावा देनेवाला प्रावधान भी है। इस कानून में उन

बच्चों को काम करने की छूट है, जिसके काम के घंटे तय है। इसी का कुछ लोग फायदा उठा जाते है। आज भी करोड़ों लोगों को यह जानकारी नहीं है कि हमारे संविधान में क्या उल्लेख किया गया है, तो वे अपने अधिकारों के बारे में क्या जानेंगे। जागरूकता के अभाव के कारण गरीबी के आलम में रहने वाले सिर्फ इसलिए अधिक बच्चे पैदा करते है कि होश संभालते ही बच्चे परिवार के लिए कुछ कमा कर लायेंगे।

वर्तमान में भारत देश में कई जगहों पर आर्थिक तंगी के कारण माँ–बाप ही थोड़े पैसों के लिए अपने बच्चों को ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते है, जो अपनी सुविधानुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते है। उन्हीं होटलों, कोठियों और कारखानों के मालिक बच्चों को थोड़ा बहुत खाना देकर, मनमाना काम कराते है और घंटों बच्चों की क्षमता के विपरित या उससे भी अधिक काम कराना, भर पेट भोजन न देना और मन के अनुसार कार्य न होने पर पिटाई – यही बाल मजदूरों का जीवन बन जाता है। इसके अलावा भी काम देनेवाला नियोक्ता बच्चों को पटाखें बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, हीरा उद्योग, कांच उद्योग, माचिस उद्योग, दवा उद्योग आदि सभी खतरनाक काम अपनी मर्जी के अनुसार कराते है। कई बार बालश्रम करते–करते बच्चों को यौन शोषण का शिकार भी होना पड़ता है और खतरनाक उद्योगों में काम करने से कैंसर और टीबी आदि जैसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से बाल श्रमिक का जीवन जीते जी नरक बन जाता है।

आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। कहने को भारत देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने और कूदने के होते है, उसमें उन्हें बाल मजदूर बनना पड़ता है। इससे बच्चों को भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। कहने को सरकारें बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े–बड़े वादे और घोषणाएँ करती है, फिर भी होता सिर्फ ढ़ाक के वही तीन पात है। इतनी जागरूकता के बाद भी भारत देश में बाल मजदूरी का खात्मा नहीं हो पाया है। इसके ठीक विपरीत बाल मजदूरी दिन व दिन बढ़ती जा रही है मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे है। जो गरीब बच्चियाँ होती है, उनको पढ़ने भेजने की जगह घर में ही बाल श्रम कराया जाता है। छोटे–छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बालश्रम हेतु मजबूर है। बाल मजदूरी बच्चे के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। जो बच्चे बाल मजदूरी करते है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते है और बाल मजदूरी उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास में बाधक होती है। बालश्रम की समस्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है जोकि संविधान के विरूद्ध है और मानवाधिकार का

सबसे बड़ा उल्लंघन है। इसलिए यह कहना है कि बालश्रम समाज के लिए अभिशाप है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल समाज के माथे पर कलंक है बालश्रम। बचपन जिंदगी का बहुत खुबसुरत सफर होता है। बचपन में न कोई चिंता होती है, ना कोई फिक्र होती है, एक निश्चित जीवन का भरपूर आनन्द लेना ही बचपन होता है। लेकिन कुछ बच्चों के बचपन में लाचारी और गरीबी की नजर लगा जाती है। जिस कारण से उन्हें बालश्रम जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। बालश्रम वर्तमान समय में बच्चों की मासूमियत के बीच अभिशाप बनकर सामने आता है।

"बाल मजदूरी है अभिशाप,
बालकों से मजदूरी करवाना है पाप।"

बालश्रम एक ऐसा कड़वा सच है। जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया ग्रस्त है। कृषि में बाल मजूरी सबसे ज्यादा देखी गयी है। विकासशील देशों में हजारों बच्चे बहुत छोटी अवस्था से ही काम करना आरंभ कर देते है। कभी–कभी उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर जबरन भी कार्य में लगा दिया जाता है। आंकड़े बताते है कि दुनिया में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में ही है। संभवतः देश में कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें बाल श्रमिकों को न लगाया जाता हो। भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के एक आकलन के अनुसार यहाँ कम से कम 9 करोड़ बाल श्रमिक है हालांकि कुछ गैर–सरकारी संस्थाएँ बाल श्रमिकों की संख्या इससे अधिक बता रही है। 'यूनिसेफ' के अनुसार 14 वर्ष तक सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में बालश्रम को लेकर जागरूकता के उद्देश्य से '12 जून' को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरूआत की थी। लेकिन आज यह दिन केवल आयोजन, गोष्ठी और चर्चा तक ही सिमटता जा रहा है।

बालश्रम की समस्या भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है, जिसका समाधान खोजना जरूरी है। साथ ही कई प्रकार के समाधान हमारी सरकारे एवं संविधान निर्माताओं द्वारा किया भी गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक कामों में लगाने से रोकने और कुछ अन्य रोजगारों में उनके काम की स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया। इससे धारा 3 के अतिरिक्त प्रावधानों पर एक माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून रोजगार के कुछ क्षेत्रों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। भारत के संविधान निर्माताओं एवं सरकारों ने काम करनेवाले बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में कई प्रकार के अनिवार्य प्रावधान शामिल किया। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरूद्ध अनुच्छेद

23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खाद्यान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जायेगा। अनुच्छेद 21 (ए) शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद–45 इसके तहत राज्य बच्चों को मुत एवं अनिवार्य शिक्षा देना ऐसा प्रावधान किया गया है। दरअसल अपने देश में बालश्रम एक चुनौती बनती जा रही है। सरकार ने इससे निपटने के कई कदम उठाए है। वर्ष 1979 में भारत सरकार ने 'गुरुपाद स्वामी समिति' का गठन किया था। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर बाल मजदूरी अधिनियम को 1986 में लागू किया गया था। बाल श्रम की समस्या के समाधान के क्षेत्र में एम0 वी0 फाउंडेशन द्वारा एक अलग दृष्टिकोण विकसित किया गया। यह संस्था स्कूल छोड़े हुए, नामांकन से वंचित तथा अन्य कार्यरत बच्चों के लिए संयोजन पाठ्यक्रम चला रहा है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के तहत हजारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इस परियोजना के तहत हजारों बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। साथ ही विशेष स्कूलों में उनका पुनर्वास भी किया गया है। इस परियोजना के तहत बच्चों को नियमित रूप से खानपान एवं चिकित्सीय सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। परन्तु इस तरह की परियोजनाओं के सामने अनेक समस्याएँ आती है। सबसे पहले तो सही मायने में बाल मजदूरों की पहचान आवश्यक है। इसके बाद यदि कोई बच्चा 14 वर्ष का हो जाता है, ऐसे में सरकार सहयोग देना बंद कर दे तो मुमकिन है कि एक बार फिर वह बाल श्रम के दलदल में फंस जाए। इसलिए इससे निपटने हेतु कोई ठोस कदम ढूँढना आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 3.6 प्रतिशत हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर 10 में से 9 बच्चे काम करते है। ये बच्चे लगभग 85 प्रतिशत पारम्परिक कृषित गतिविधियों में कार्यरत है। जबकि 9 प्रतिशत से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मति कार्य से जुड़े है।

'बचपन बचाओ आन्दोलन' के संस्थापक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता 'श्री कैलाश सत्यर्थी' का कहना है कि पूरी दुनिया से बालश्रम को खत्म करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम संगठन और 144 देशों ने बच्चों के अधिकारों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है। जिसका अनुदान करने वाले देश को अपनी सीमा में बच्चों की बिक्री, बाल–वेश्यावृत्ति और बच्चों की पॉर्नोग्राफी पर पूर्ण रोक लगानी होती है। इन सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल करना होता है। मगर भारत ने अभी तक इसका अनुदान नहीं किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन के वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुदान कर वह दुनिया का 144वाँ देश बन गया है।

बाल श्रमिकों के पहचान के समय उनकी उम्र का निर्धारण एक मुख्य बाधक तत्व है। यह भी देखा जाता है कि जिन बाल मजदूरों को मुक्त कराया जाता है, उनका पुनर्वास जल्द नहीं हो पाता परिणाम–स्वरूप वे इसी दलदल में दुबारा फँस जाते है। कई सरकारें बाल श्रमिकों की सही संख्या नहीं बताते जिससे उस राज्य में पुनर्वास या अन्य परियोजनाएँ चलाने में कठिनाई आती है। अतः यह संख्या यथासंभव सटीक बताई जानी चाहिए। कुछ मामलों में बाल श्रमिकों की पहचान की जरूरत तो नहीं है लेकिन इन परियोजनाओं में कुछ बुनियादी संशोधन की आवश्यकता जरूर है। देश में बाल श्रम मिटाने के लिए अधिक समन्वित और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि आज बालश्रम समाज के लिए अभिशाप बन गया है। हम जानते है कि बच्चे देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है। इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम देश के उन बच्चों को अभिशाप मुक्त करें। दरअसल बालश्रम मानव अधिकार का खुला उल्लंघन है। यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है। इनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं का आरंभ किया गया है। जिससे उनके जीवन एवं शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखें। शिक्षा का अधिकार इस दिशा में सराहनीय कदम है। इसमें कोई शक नहीं कि बालश्रम की समस्या किसी देश एवं समाज के लिए अत्यंत घातक एवं विनाशकारी है। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए तथा इसका जड़ से समाप्त होना अतिआवश्यक है। इस समस्या को केवल विधि (कानून) के विधान से विराम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सामाजिक चेतना जगाना जरूरी है। ऐसा वातावरण बनाना होगा, जहाँ बच्चों से काम करवाने की प्रवृत्ति में स्वतः ही कमी आये।

"बाल श्रम की रोकथाम,
हम सब मिलकर करे ये काम !"

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

(i) डॉ0 गंगा सहाय शर्मा, श्रम एवं औद्योगिक विधि
(ii) वागडदूत अखबार प्रकाशन–09.08.2014
(iii) सालवी, डॉ0 एल0 एल0, अन्तर्राष्ट्रीय रैकर्ड रिचर्च जर्नल
(iv) डॉ0 वी0 सी0 सिन्हा, श्रम अर्थशास्त्र पेज नं0–87
(v) बाल श्रम का निकृष्ट स्वरूप : 10वीं वार्षिक रिपोर्ट–हिल्दा सोलिस (श्रम मंत्री संयुक्त राष्ट्र)